करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश

(संग्रह)

अप्रैल 2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- बेरोज़गार युवा अब आकांक्षी युवा कहलाएंगे 3
- वित्त आयोग के अनुदान 4
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा 7
- जल गंगा संवर्द्धन अभियान 8
- लोक नर्तक राम सहाय पांडे 10
- मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ 11
- अंबेडकर जयंती 12
- मध्यप्रदेश का 25वाँ वन्यजीव अभयारण्य 13
- गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 14
- अमोनिया गैस का रिसाव 15
- कृषक कल्याण मिशन 16
- कृषक कल्याण मिशन 17
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 18
- पार्थ योजना 19
- प्रसाद योजना 20
- मध्य प्रदेश में पराली जलाने का संकट 21
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 23
- 'टाइगर रिज़र्व बफर ज़ोन विकास' योजना 24
- मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 26
- MP में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क 28
- प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 29
- भारत बोत्सवाना से चीते लाएगा 30
- मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्द्धन अभियान 32
- तेजस्वी कार्यक्रम 33

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मध्य प्रदेश

बेरोज़गार युवा अब आकांक्षी युवा कहलाएंगे

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से '**आकांक्षी युवा**' का दर्जा देने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

- **मुद्दे के बारे में:**
  - राज्य मंत्री के अनुसार, सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के **बेरोज़गार** युवा सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों के लिये अपनी आकांक्षाओं को उच्च स्तर तक पहुंचाएँ और वे सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराकर नौकरी की तलाश में सक्रिय रूप से शामिल हों।
  - यह कदम उन युवाओं को प्रेरित करने के लिये है, जो अपनी क्षमताओं के आधार पर स्वरोज़गार की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं।
  - राज्य के रोज़गार पोर्टल पर मध्य प्रदेश में बेरोज़गार युवाओं की संख्या संख्या 29.37 लाख से अधिक दिखाई गई है।
  - राज्य सरकार आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के माध्यम से आकांक्षी युवाओं को रोज़गार से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
  - उन्होंने यह भी बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश को 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला है, जिससे 21 लाख युवाओं के लिये रोज़गार सृजन की उम्मीद है।

बेरोज़गारी क्या है ?

- **परिचय:**
  - बेरोज़गारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ **काम करने में सक्षम व्यक्ति सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश** कर रहे हैं लेकिन **उपयुक्त नौकरियाँ प्राप्त करने में असमर्थ** हैं।
  - बेरोज़गार व्यक्ति वह है जो **श्रम शक्ति का हिस्सा** है और साथ ही उसके पास अपेक्षित कौशल भी होता है लेकिन **वर्तमान में उसके पास लाभकारी रोज़गार का अभाव** है।
  - मूल रूप से एक बेरोज़गार व्यक्ति वह होता है जो काम करने में **सक्षमता के साथ-साथ काम करने का इच्छुक भी** होता है और **सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश** में होता है।
- **बेरोज़गारी का मापन:**
  - देश में बेरोज़गारी की गणना आमतौर पर सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- बेरोज़गारी दर = [बेरोज़गार श्रमिकों की संख्या/कुल श्रम बल] x 100
  - यहाँ, 'कुल श्रम शक्ति' में नियोजित व्यक्तियों के साथ-साथ बेरोज़गार भी शामिल हैं। जो लोग न तो नियोजित हैं और न ही बेरोज़गार हैं, उदाहरण के लिये– छात्र, उन्हें श्रम शक्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है।

- **बेरोज़गारी के प्रकार:**
  - **संरचनात्मक बेरोज़गारी:** कार्यबल के पास मौजूद **कौशल एवं उपलब्ध पदों की आवश्यकताओं के बीच के अंतराल में निहित बेरोज़गारी** का यह रूप श्रम बाज़ार के प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डालता है।
  - **चक्रीय बेरोज़गारी:** यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है, जो व्यापक आर्थिक स्थितियों के लिये नौकरी की उपलब्धता की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
  - **घर्षणात्मक बेरोज़गारी/संक्रमणकालीन बेरोज़गारी:** इसे संक्रमणकालीन बेरोज़गारी भी कहा जाता है, जो नौकरियों के बीच प्राकृतिक संक्रमण से उत्पन्न होती है, यह प्रकार उस अस्थायी अवधि को दर्शाता है जो व्यक्ति नए रोज़गार के अवसरों की तलाश में व्यतीत होते हैं।
  - **अल्परोज़गार:** अल्परोज़गारी, हालाँकि पूर्ण बेरोज़गारी नहीं है, यह अवधारणा उन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों से संबंधित है जो अपने कौशल का कम उपयोग करते हैं या अपर्याप्त कार्य घंटे प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक अक्षमता की भावना उत्पन्न होती है।
  - **छिपी हुई बेरोज़गारी:** ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो निराशा अथवा अन्य कारकों के कारण सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर संभावित रूप से नौकरी बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं।
  - **प्रच्छन्न बेरोज़गारी:** यह इसलिये उत्पन्न होती है क्योंकि कारखाने में अथवा भूमि पर आवश्यकता से अधिक मज़दूर काम करते हैं। अत: **श्रम की प्रति इकाई उत्पादकता कम** होगी।

वित्त आयोग के अनुदान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पाँच राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड और पंजाब) में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs)/पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान वितरित किया है।

मुख्य बिंदु

- **अनुदान के बारे में:**
  - ये अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में प्रदान किये जाते हैं और इन्हें **पंचायती राज मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग)** की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा ज़ारी किया जाता है।
  - पहली किस्त के रूप में मध्य प्रदेश को **651.7794 करोड़ रुपए** का असंबद्ध अनुदान आवंटित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अनुदान का उपयोग:**
  - **अप्रतिबंधित अनुदान:** ये अनुदान स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (RLB/PRI) को **संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची** में **सूचीबद्ध 29 विषयों** के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सक्षम बनाते हैं, सिवाय वेतन और स्थापना लागत के।
  - **बंधे हुए अनुदान:** इन निधियों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिये अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये:
    - स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति बनाए रखना, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, मानव मल और मल कीचड़ उपचार शामिल है।
    - पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

पंचायती राज संस्थान

- **73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992** द्वारा **पंचायती राज संस्थानों** को **संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया और एक समान संरचना (PRI के तीन स्तर), **चुनाव**, **अनुसूचित जाति**, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण व निधि के अंतरण एवं **PRI के कार्य और पदाधिकारी** की एक प्रणाली स्थापित की गई।
  - पंचायतें तीन स्तरों पर कार्य करती हैं: **ग्राम सभा** (गाँव अथवा छोटे गाँवों का समूह), **पंचायत समितियाँ** (ब्लॉक परिषद) और **ज़िला परिषद** (ज़िला स्तर पर)।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को स्व-सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने का **अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करने की शक्ति प्रदान** करता है।
- पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिये भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 280(3)(bb) और अनुच्छेद 243-I** निम्नलिखित प्रावधान करता है:
  - **अनुच्छेद 243H** राज्य विधानमंडलों को **करों, शुल्कों, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने के लिये पंचायतों को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान** करता है। यह उन्हें शर्तों व सीमाओं के अधीन, इन करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों को पंचायतों को सौंपने की भी अनुमति भी प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद 280(3) (bb) के अनुसार यह **केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य** है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिये राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिये राज्य के वित्त आयोग **द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपायों के बारे में** राष्ट्रपति **से सिफारिश करे।**
  - अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का आदेश देता है। इन आयोगों का कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्यपाल **को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सलाह देना है:**
    - राज्य और पंचायतों के बीच करों, कर्त्तव्यों, टोल तथा शुल्क के वितरण का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत, जिसमें उनके संबंधित हिस्सेदारी व पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच आवंटन शामिल हैं।
    - पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय।
    - राज्यपाल द्वारा संदर्भित कोई अन्य वित्त संबंधी मामले।
  - **पंचायती राज मंत्रालय** पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है। इसकी स्थापना मई 2004 में की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है

-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन

गठन:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

सदस्य:

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (**एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित**)- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- **कार्यकाल:** जैसा कि **राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है**
- **पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं**

एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं

- **पहला वित्त आयोग (1952-57)**
  - अध्यक्ष- **के. सी. नियोगी**
- **दूसरा वित्त आयोग (1957-62)**
  - अध्यक्ष- **के. संथानम**
- **पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2021-2026)**
  - अध्यक्ष- **एन.के. सिंह**
- **राज्य वित्त आयोग**
  - **राज्यपाल** द्वारा प्रत्येक **5वें वर्ष** में गठित (**अनुच्छेद 243**)
  - **पंचायतों और नगर पालिकाओं** की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- केंद्र और राज्यों के बीच **शुद्ध कर आय का वितरण**
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु **अनुदान का निर्धारण**
- **राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले**
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर **पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश** करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

चर्चा में क्यों ?

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत को मंज़ूरी दी गई।

मुख्य बिंदु

- **परिवहन सेवा के बारे में:**
  - **उद्देश्य:**
    - इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के नगरों और ग्रामीण इलाकों में यात्रियों के लिये एक सुविधाजनक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्री परिवहन व्यवस्था स्थापित करना है।
    - इस योजना के तहत, ग्रामीण और साधारण मार्गों पर **बस सेवाओं का विस्तार** किया जाएगा, जिससे लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे और उन्हें नियमित, सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
  - **वित्तीय स्वीकृति और संरचना:**
    - इस परियोजना के लिये **101 करोड़ 20 लाख रुपए की** स्वीकृति दी गई है।
    - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत राज्य स्तर पर एक **होल्डिंग कंपनी** का गठन किया जाएगा, जो सात संभागीय कंपनियों के नियंत्रण को एकीकृत करेगी।
    - **रीवा और ग्वालियर** के लिये नए क्षेत्रीय कंपनियों का गठन किया जाएगा और इन कंपनियों की निगरानी के लिये त्रि-स्तरीय संरचना का निर्माण होगा।
  - **संपत्ति और संसाधनों का उपयोग:**
    - सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा उपयोग में लाई गई चल-अचल संपत्तियाँ, जैसे बस टर्मिनल और बस स्टॉप, होल्डिंग कंपनी द्वारा सामंजस्य से विकसित की जाएंगी।
    - नगर निगम और अन्य प्राधिकरणों द्वारा विकसित संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी राशि का भुगतान परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा।
  - **नियमों में संशोधन:**
    - **मध्य प्रदेश मोटरयान नियम,** 1994 में आवश्यक संशोधन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, ताकि परिवहन से जुड़े नियमों में समायोजन किया जा सके।
    - बस संचालन के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे निजी बस ऑपरेटरों को व्यवस्थित रूप से विनियमित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013

- कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था।
- यह अधिनियम भारत में कंपनियों के निर्माण से लेकर उनके समापन तक सभी स्थितियों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- कंपनी अधिनियम के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCTL) **की स्थापना** की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ने ही '**एक व्यक्ति कंपनी**' (One Person Company) की अवधारणा की शुरुआत की।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल

- PPP परियोजना का अर्थ है किसी भी परियोजना के लिये सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का समझौता।
- इस समझौते के तहत शुल्क लेकर ढाँचागत सेवा प्रदान की जाती है। इसमें आमतौर पर दोनों पक्ष मिलकर एक **स्पेशल परपज व्हीकल (SPV)** गठित करते हैं, जो परियोजना पर अमल का काम करता है।
- आज **अवसंरचना** के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे- सड़क, रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई-अड्डा, पाइपलाइन और शहरी ढाँचागत क्षेत्र आदि में निवेश के लिये PPP मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **लाभ-**
  - PPP मॉडल अपनाने से परियोजनाएँ सही लागत पर और समय से पूरी हो जाती हैं।
  - PPP से काम समय से पूरा होने के कारण निर्धारित परियोजनाओं से होने वाली आय भी समय से शुरू हो जाती है, जिससे सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होने लगती है।
  - परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम और पूंजी संसाधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
  - PPP मॉडल के तहत किये गए काम की गुणवत्ता सरकारी काम की तुलना में अच्छी होती है और साथ ही काम अपने निर्धारित योजना के अनुसार होता है।

जल गंगा संवर्द्धन अभियान

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के जल-स्रोतों, नदी, तालाबों, कुआँ, बावड़ी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिये **जल गंगा संवर्द्धन अभियान** शुरू किया गया।

मुख्य बिंदु

- **अभियान के बारे में:**
  - यह अभियान 30 मार्च 2025 को क्षिप्रा नदी के तट से आरंभ हुआ और 30 जून 2025 तक चलेगा।
- **उद्देश्य:**
  - **जल स्रोतों का संरक्षण:** जल गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल-संरचनाओं (नदी, तालाब, कुए, बावड़ी आदि) का संरक्षण और पुनर्जीवन करना है।
  - इसमें गंदे पानी के नालों को स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के अंतर्गत शोधित करने की योजना भी शामिल है।
  - **जन-भागीदारी को बढ़ावा देना:** इस अभियान में नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं, की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर आयोजन:** अभियान के दौरान गंगा दशहरा (5 जून) और बट सावित्री पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधारोपण और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- इन आयोजनों के माध्यम से जल संरचनाओं और प्रकृति के महत्त्व को उजागर किया जाएगा।
- **प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्द्धन:** इस अभियान में जल संरचनाओं के आसपास **हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट)** बनाने की योजना है और जल संरचनाओं के गहरीकरण के दौरान निकली मिट्टी को किसानों को दिया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

- **दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन:**
  - **स्वच्छ भारत मिशन-2.0** के तहत जल संरचनाओं में मिलने वाले गंदे पानी के नालों को डायवर्जन के बाद शोधित करना।
  - **पेयजल सुविधा** के लिये शहर के प्रमुख स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था।
  - **रैन-वॉटर हॉर्वेस्टिंग प्रणाली** को कॉलोनियों में स्थापित करना।
  - **लीकेज सुधारने की व्यवस्था** ताकि पानी का अपव्यय न हो।
  - **जलदूत, जल मित्र और अमृत मित्र** तैयार करना।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

- **परिचय**
  - यह एक वृहत जन आंदोलन है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का निर्माण करना था। 2 अक्टूबर 2014 (गांधी जयंती) के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की नींव रखी। यह मिशन सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को दायरे में लेता है।
  - इस मिशन के शहरी घटक का क्रियान्वयन **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय** द्वारा और ग्रामीण घटक का क्रियान्वयन **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी:**
  - **चरण 1:**
    - कार्यक्रम में खुले में शौच (open defecation) का उन्मूलन करना, गंदे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ स्वच्छता अभ्यासों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना शामिल है।
    - मिशन 1.04 करोड़ घरों को कवर करने, 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय एवं 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय प्रदान करने और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है।
    - सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिये अपेक्षित सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक शौचालय के निर्माण की लागत का 40% तक **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF)**/एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। SBM दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उक्त घटक के लिये अतिरिक्त 13.33% प्रदान करेंगे।
    - पूर्वोत्तर राज्यों और **विशेष श्रेणी के राज्यों** को केवल 4% योगदान देना होगा। धन की व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नवोन्मेषी तंत्रों के माध्यम से करनी होगी। सामुदायिक शौचालय की प्रति सीट अनुमानित लागत 65,000 रुपए है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **चरण 2:**
  - SBM-U 2.0 में सभी शहरों को 'कूड़ा मुक्त' बनाने और 'अमृत' (AMRUT) के अंतर्गत शामिल शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में गंदले जल (grey and black water) प्रबंधन को सुनिश्चित करने, सभी शहरी स्थानीय निकायों को ODF+ में परिणत करने तथा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को ODF++ में परिणत करने की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
    - मिशन ठोस अपशिष्टों के स्रोत पर पृथक्करण, 3Rs (reduce, reuse, recycle) के सिद्धांतों के उपयोग, सभी प्रकार के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये पुराने डंपसाइटों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिये SBM-U 2.0 का परिव्यय लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए है।

लोक नर्तक राम सहाय पांडे

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल, 2025 को पद्मश्री से सम्मानित **लोक नृत्य कलाकार राम सहाय पांडे** का मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में निधन हो गया।

मुख्य बिंदु

- **राम सहाय पांडे के बारे में:**
  - उनका जन्म 11 मार्च 1933 को **सागर ज़िले के मड़धार पठा गाँव** में हुआ था।
  - वे एक कृषक ब्राह्मण परिवार से थे और चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे।
  - उन्होंने **राई नृत्य** को सम्मानित कला के रूप में स्थापित किया। उन्होंने राई नृत्य को **24 देशों में पहचान दिलाई** और **बुंदेलखंडी लोक नृत्य नाट्य कला परिषद** की स्थापना की।
  - **वर्ष 2022 में उन्हें पद्म श्री** से सम्मानित किया गया।
  - इसके अलावा, वर्ष 1980 में उन्हें '**नृत्य शिरोमणि**' की उपाधि से नवाजा गया।

राई नृत्य

- राई नृत्य बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है।
- यह नृत्य विशेष रूप से **विवाह और जन्म उत्सव जैसे विशेष अवसरों पर** किया जाता है।
- इसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों नाचते हैं। राई नृत्य करने वाली महिलाओं को बेड़नियाँ और पुरुषों को मृदंगधारी कहते हैं।
- महिलाएँ पैरों में घुंघरू बाँधकर और सज-धज कर मृदंग की थाप पर नाचती हैं। इस दौरान पुरुष और महिलाएँ देशी स्वांग भी गाते हैं।
- राई नृत्य न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है, बल्कि इसमें छिपी लोक कला और परंपराओं को भी प्रकट करता है, जो बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक हैं।
- मध्य प्रदेश में **बेदिया जनजाति** इस लोक नृत्य को करती है।
- वैश्य समुदाय में बच्चे के जन्म के अवसर पर यह अहीर जनजाति की महिलाओं द्वारा भी किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने मध्य प्रदेश के **धार ज़िले** में **₹5800 करोड़** की लागत वाली **10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं** का **लोकार्पण व शिलान्यास** किया।

मुख्य बिंदु

- **मुद्दे के बारे में:**
  - **मंत्री के अनुसार एक वर्ष** में **₹3 लाख करोड़** के बुनियादी ढाँचे से जुड़े कार्य पूरे कर दिये जाएंगे।
  - बेहतर सड़कें **लॉजिस्टिक्स लागत** को घटाती हैं, जिससे मेक इन इंडिया" और **निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था** को बल मिलता है। साथ ही **रक्षा तैयारियों** के लिये भी राष्ट्रीय राजमार्ग एक रणनीतिक संपत्ति हैं।

मेक इन इंडिया' पहल

- **परिचय**
  - वर्ष 2014 में लॉन्च किये गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है।
  - इसका नेतृत्त्व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT), **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,** भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
  - यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला निमंत्रण है।
  - मेक इन इंडिया ने 27 **क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियाँ हासिल की हैं**। इनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अंबेडकर जयंती

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उन्हें नमन किया।

मुख्य बिंदु

- **डॉ. अंबेडकर के बारे में:**
  - **परिचय:**
    - डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म वर्ष 1891 में महू, मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में हुआ था।
    - उन्हें भारतीय संविधान का जनक (Father of the Indian Constitution) माना जाता है और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे।
    - वह संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष (Chairman of the Drafting Committee) थे।
    - वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिये लड़ाई लड़ी।
  - **योगदान:**
    - उन्होंने मार्च 1927 में उन हिंदुओं के खिलाफ महाड़ सत्याग्रह (Mahad Satyagraha) का नेतृत्व किया जो नगरपालिका बोर्ड के फैसले का विरोध कर रहे थे।
    - उन्होंने तीनों **गोलमेज़ सम्मेलनों (Three Round Table Conferences)** में भाग लिया।
    - वर्ष 1932 में डॉ. अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ **पूना समझौते** पर हस्ताक्षर किये, जिससे उन्होंने दलित वर्गों (सांप्रदायिक एवार्ड) हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया।
    - हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने **भारतीय रिज़र्व बैंक** (Reserve Bank of India- RBI) की नींव रखने का कार्य किया।
  - **बौद्ध धर्म अपनाना:**
    - हिंदू कोड बिल (Hindu Code Bill) पर मतभेद को लेकर उन्होने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
    - उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा 6 दिसंबर, 1956 (महापरिनिर्वाण दिवस) को उनका निधन हो गया।
    - चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो बी आर अंबेडकर स्मारक के रूप में जानी जाती है।
    - वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
- **महत्त्वपूर्ण कार्य:**
  - **पत्रिकाएँ:**
    - मूकनायक (1920)
    - बहिष्कृत भारत' (1927)
    - समता (1929)
    - जनता (1930)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पुस्तकें:**
  - जाति प्रथा का विनाश
  - बुद्ध या कार्ल मार्क्स
  - अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए
  - बुद्ध और उनके धम्म
  - हिंदू महिलाओं का उदय और पतन
- **संगठन:**
  - **बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923)**
  - स्वतंत्र लेबर पार्टी (1936)
  - अनुसूचित जाति फेडरेशन (1942)

मध्यप्रदेश का 25वाँ वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश सरकार ने **सागर ज़िले** में एक **नए** वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है, जिसका नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर अभयारण्य रखा गया है।

मुख्य बिंदु

- **अभयारण्य के बारे में:**
  - डॉ. भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य **सागर ज़िले** के उत्तर सागर वन प्रभाग, **तहसील बंडा** और **शाहगढ़ वन** के 258.64 वर्ग किमी. आरक्षित वन क्षेत्र में फैला होगा।
  - यह अभयारण्य **बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर** को समर्पित है। इसके साथ ही राज्य में **25 वन्यजीव अभयारण्य हो गए हैं।**
- **महत्त्व**
  - यह क्षेत्र अभ्यारण्य घोषित होने से यहाँ रहने वाले **वन्यजीवों** जैसे तेंदुआ, सियार, चीतल, नीलगाय आदि की **सुरक्षा और संरक्षण** सुनिश्चित होगा।
  - अवैध शिकार और वनों की कटाई पर नियंत्रण लगेगा।
  - जैवविविधता में वृद्धि होगी।
  - राज्य में प्राकृतिक पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे।
- **राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य**

अभयारण्य	ज़िला / स्थान	अभयारण्य	ज़िला / स्थान
बगदरा	सिंगरौली	रातापानी	औबेदुल्लागंज
पचमढ़ी	होशंगाबाद	केन घड़ियाल	पन्ना

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

बोरी	होशंगाबाद	सैलाना	रतलाम
पनपथा	उमरिया	खेओनी	देवास
गांधी सागर	मंदसौर	सरदारपुर	धार
पेंच (मोघली)	सिवनी	नरसिंहगढ़	राजगढ़
गंगऊ	पन्ना	संजय (डुबरी)	सीधी
फेन	मंडला	चंबल	(राज्य सीमा क्षेत्र)
घाटीगाँव	ग्वालियर	सिंघौरी	औबेदुल्लागंज
रालामंडल	इंदौर	नौरादेही	सागर
कर्माझिरी	सिवनी	सोन घड़ियाल	सीधी
वीरांगना दुर्गावती	दमोह	ओरछा	टीकमगढ़

गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, **केरवा भोपाल** में पाले गये 6 गिद्धों को पहली बार उनके **प्राकृतिक आवास 'हलाली डेम के वन क्षेत्र'** में छोड़ा गया।

मुख्य बिंदु

- **गिद्धों की मुक्ति:**
  - सभी गिद्धों पर **सोलर पॉवर्ड GPS-GSM ट्रैकर** (Ornitrack-25) लगाए गए हैं।
  - जिससे उनके **आवागमन के पैटर्न** और **आवास उपयोग** की निगरानी की जा सके।
  - मध्य प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिये **वन विहार** एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संयोजन से **गिद्ध सरक्षंण प्रजनन केंद्र** की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी।

गिद्ध के विषय में

- यह मृत जानवर खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं।
- ये प्रकृति के कचरा संग्रहकर्त्ता के रूप में एक महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं और पर्यावरण से कचरा हटाकर उसे साफ रखने में मदद करते हैं।
  - गिद्ध वन्यजीवों की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों यथा- ओरिएंटल व्हाइट बैकड (Oriental White Backed), लॉन्ग बिल्ड (Long Billed), स्लेंडर-बिल्ड (Slender Billed), हिमालयन (Himalayan), रेड हेडेड (Red Headed), मिस्र देशीय (Egyptian), बियरडेड (Bearded), सिनेरियस (Cinereous) और यूरेशियन ग्रिफॉन (Eurasian Griffon) का घर है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश के विलुप्त होने का खतरा है।
- बियरडेड, लॉन्ग बिल्ड और ओरिएंटल व्हाइट बैकड **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम** (Wildlife Protection Act), 1972 की अनुसूची-1 में संरक्षित हैं। बाकी 'अनुसूची IV' के अंतर्गत संरक्षित हैं।

खतरे :

- **डाइक्लोफेनाक (Diclofenac)** जैसे विषाक्त जो पशुओं के लिये दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- मानवजनित गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों का नुकसान।
- भोजन की कमी और दूषित भोजन।
- बिजली लाइनों से करंट।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS):

- BNHS एक **अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन** है, जो **वर्ष 1883** से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है।
- **उद्देश्य:** BNHS का उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षा एवं सार्वजनिक जागरूकता के आधार पर कार्रवाई के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण मुख्य रूप से जैवविविधता का संरक्षण करना है।
- BNHS आम जनता के लिये प्रकृति ट्रेल्स और शिविरों का आयोजन और संचालन भी करता है।

अमोनिया गैस का रिसाव

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के रतलाम में एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया **गैस के रिसाव** से निवासियों की चिंताएँ बढ़ गईं।

मुख्य बिंदु

- **अमोनिया के बारे में:**
  - **अमोनिया** (NH_3) एक **तीखी गंध वाली रंगहीन गैस** है, जिसका व्यापक रूप से **उद्योग** में उपयोग किया जाता है और यह **पर्यावरण और मानव शरीर** में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है।
  - इसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च तापमान और दबाव में **हैबर-बॉश प्रक्रम** ($N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$) द्वारा निर्मित किया जाता है।
  - इसका सांद्रित रूप **संक्षारक** होता है और **उच्च ताप पर जलने या विस्फोट का कारण** बन सकता है। इसे **संपीड़ित तरल** के रूप में संग्रहित किया जाता है।
  - यह **जल में अत्यधिक घुलनशील** है और **जल** के संपर्क में आने पर **अमोनियम हाइड्रॉक्साइड** बनाता है।
  - इसमें ली-आयन बैटरियों **की तुलना में 9 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व** है तथा **संपीड़ित हाइड्रोजन की तुलना में 3 गुना अधिक** है, जो इसे एक आशाजनक **कार्बन-मुक्त ऊर्जा वाहक** बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रमुख अनुप्रयोग:**

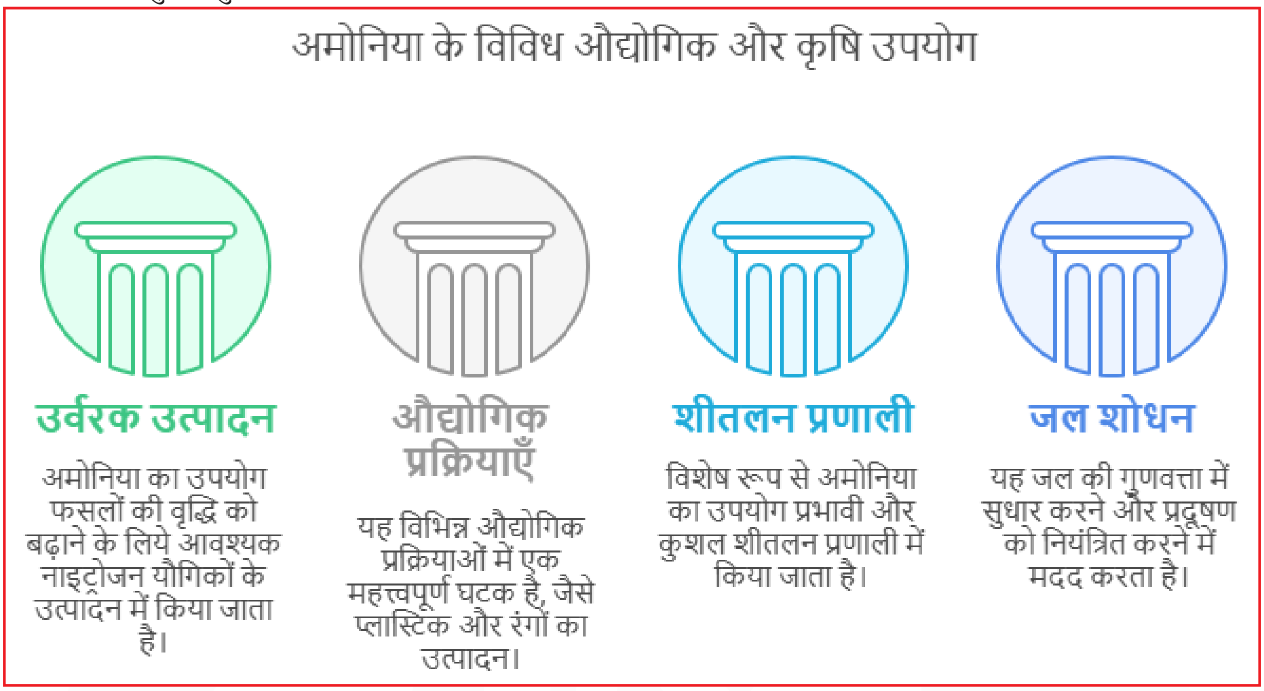

कृषक कल्याण मिशन

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने "**कृषक कल्याण मिशन (KKM)** को प्रारंभ करने की **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की।

मुख्य बिंदु

- **मिशन के बारे में:**
  - **इस मिशन का उद्देश्य** किसानों की **आय में वृद्धि, कृषि को जलवायु-अनुकूल बनाना**, धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैवविविधता और **परंपरागत कृषि ज्ञान** का संरक्षण करना है।
  - यह मिशन **पोषण और खाद्य सुरक्षा**, साथ ही **कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने** की दिशा में भी कार्य करेगा।
  - इस मिशन के अंतर्गत **किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण**, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, **सहकारिता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों** में प्रचलित योजनाओं को **एकीकृत** किया जाएगा।
- **प्रमुख लक्ष्य:**
  - कृषि यंत्रीकरण में **1.5 गुना वृद्धि**।
  - कृषि क्षेत्र में **75% पूंजी निवेश वृद्धि**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जैविक/प्राकृतिक खेती** को **10% क्षेत्र** तक ले जाना।
- **फसल बीमा कवरेज 50%** तक बढ़ाना।
- **सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्रफल 20%** तक।
- **ऊर्जादाता योजना** के अंतर्गत किसानों को **सौर ऊर्जा पंप**।
- पशुधन उत्पादकता में 50% वृद्धि

- **प्रशासनिक ढाँचा:**
  - मुख्यमंत्री **मिशन की आम सभा** के अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य सचिव कार्यकारी समिति का नेतृत्व करेंगे।
  - **ज़िला स्तर पर मिशन का संचालन ज़िलाधिकारी** की अध्यक्षता में होगा।

मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2002-03 में जहाँ कृषि उत्पादकता 1,195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, वहीं यह वर्ष 2024 में बढ़कर 2,393 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई, जो 200 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।
- इसी तरह, **फसल उत्पादन** में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है- वर्ष **2002-03** में यह **224 लाख मीट्रिक टन** था, जो वर्ष **2024** में बढ़कर **723 लाख मीट्रिक टन** हो गया अर्थात **323 प्रतिशत की वृद्धि**।
- प्रदेश की **कृषि विकास दर** भी उल्लेखनीय रही है। वर्ष **2002-03** में जहाँ यह **3 प्रतिशत** थी, वह वर्ष **2024** में बढ़कर **9.8 प्रतिशत** हो गई है।
- इसके अतिरिक्त, **कृषि बजट** में भी भारी वृद्धि हुई है—वर्ष **2002-03** में जहाँ यह **600 करोड़ रुपए** था, वहीं वर्ष **2024** में यह बढ़कर **27,050 करोड़ रुपए** हो गया है।
- वर्तमान में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में **कृषि क्षेत्र** का योगदान **39 प्रतिशत** है।

कृषक कल्याण मिशन

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने "**कृषक कल्याण मिशन (KKM)** को प्रारंभ करने की **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की।

मुख्य बिंदु

- **मिशन के बारे में:**
  - **इस मिशन का उद्देश्य** किसानों की **आय में वृद्धि**, **कृषि को जलवायु-अनुकूल बनाना**, धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैवविविधता और **परंपरागत कृषि ज्ञान** का संरक्षण करना है।
  - यह मिशन **पोषण और खाद्य सुरक्षा**, साथ ही **कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने** की दिशा में भी कार्य करेगा।
  - इस मिशन के अंतर्गत **किसान कल्याण एवं कृषि विकास**, **उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण**, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, **सहकारिता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों** में प्रचलित योजनाओं को **एकीकृत** किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रमुख लक्ष्य:**
  - कृषि यंत्रीकरण में **1.5 गुना वृद्धि**।
  - कृषि क्षेत्र में **75% पूंजी निवेश वृद्धि**।
  - जैविक/प्राकृतिक खेती को **10% क्षेत्र** तक ले जाना।
  - **फसल बीमा कवरेज 50%** तक बढ़ाना।
  - **सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्रफल 20%** तक।
  - **ऊर्जादाता योजना** के अंतर्गत किसानों को **सौर ऊर्जा पंप**।
  - पशुधन उत्पादकता में 50% वृद्धि
- **प्रशासनिक ढाँचा:**
  - मुख्यमंत्री **मिशन की आम सभा** के अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य सचिव कार्यकारी समिति का नेतृत्व करेंगे।
  - **ज़िला स्तर पर मिशन का संचालन ज़िलाधिकारी** की अध्यक्षता में होगा।

मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2002-03 में जहाँ **कृषि उत्पादकता** 1,195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, वहीं यह वर्ष 2024 में बढ़कर **2,393 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर** हो गई, जो **200 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाती है।
- इसी तरह, **फसल उत्पादन** में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है- वर्ष 2002-03 में यह **224 लाख मीट्रिक टन** था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर **723 लाख मीट्रिक टन** हो गया अर्थात **323 प्रतिशत की वृद्धि**।
- प्रदेश की **कृषि विकास दर** भी उल्लेखनीय रही है। वर्ष 2002-03 में जहाँ यह **3 प्रतिशत** थी, वह वर्ष 2024 में बढ़कर **9.8 प्रतिशत** हो गई है।
- इसके अतिरिक्त, **कृषि बजट** में भी भारी वृद्धि हुई है—वर्ष 2002-03 में जहाँ यह **600 करोड़ रुपए** था, वहीं वर्ष 2024 में यह बढ़कर **27,050 करोड़ रुपए** हो गया है।
- वर्तमान में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में **कृषि क्षेत्र** का योगदान **39 प्रतिशत** है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **मंडला ज़िले** से **लाड़ली बहना योजना** की राशि का हस्तांतरण कर इसे हर महीने **15 तारीख के आसपास नियमित** रूप से करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **योजना के बारे में:**
  - **उद्देश्य:** लाड़ली बहना योजना का **मुख्य उद्देश्य** मध्यप्रदेश की **महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना** है।
    - लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में 1553 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये जा चुके हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- राज्य सरकार द्वारा राशि **को 3000 रुपए प्रति माह करने से अब और** अधिक महिलाएँ इसका लाभ उठा सकेंगी और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगी।
- **शुरुआत:** इस योजना को मई 2023 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसके तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को शुरू **में 1000 रुपए की सहायता दी जाती थी**। जिसे बाद में बढाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया गया।
- लाड़ली बहना योजना प्रदेश की सबसे बड़ी डीबीटी योजना में शामिल है।

- **पात्रता और नियम:**
  - महिला के परिवार की वार्षिक **आय 2.5 लाख रुपए से कम हो।**
  - परिवार में कोई भी सदस्य **सरकारी नौकरी नहीं** करता हो।
  - इसके अतिरिक्त, परिवार के पास **5 एकड़ से ज्यादा भूमि या ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो।**

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना:

- **उद्देश्य:** इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- **कार्यान्वयन:** इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।
  - महालेखाकार कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के पुराने संस्करण यानी 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम' को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।
- **DBT के घटक:** प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।
- **आधार अनिवार्य नहीं:** DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूँकि आधार विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

पार्थ योजना

चर्चा में क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पार्थ योजना (Parth - Police Army Recruitment Training & Skills) 1 मई, 2025 से मध्य प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों में **पायलट प्रोज़ेक्ट** के रूप में लागू की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- **योजना के बारे में:**
  - इस योजना का प्रारंभिक शुभारंभ जनवरी 2025 में किया गया था।
  - यह योजना **पायलट प्रोज़ेक्ट** के रूप में **भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर और उज्जैन** में लागू की जाएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- प्रत्येक शहर से **50 युवाओं का चयन** किया जाएगा, इस तरह कुल **450 युवा लाभान्वित** होंगे।
- **प्रशिक्षण**
  - यह योजना युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु **संपूर्ण प्रशिक्षण** उपलब्ध कराएगी। प्रशिक्षण में शामिल होंगे:
    - **शारीरिक फिटनेस अभ्यास**
    - **लिखित परीक्षा की कोचिंग** (सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेज़ी आदि)
    - **व्यक्तित्व विकास**
- **संरचना**
  - **संभाग स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र** स्थापित किये जाएंगे, जिनका संचालन **ज़िला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी** करेंगे।
  - **ग्रामीण युवा समन्वयक** और **विभागीय कर्मचारी** प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग देंगे।
  - यह योजना **पूरी तरह से आत्मनिर्भर** है, इसके लिये **सरकार ने अलग से बजट आवंटित नहीं किया है**।
    - प्रतिभागियों से ली जाने वाली **निर्धारित फीस** के माध्यम से योजना संचालित होगी।
- **उद्देश्य:**
  - प्रदेश के युवाओं को **पुलिस एवं सेना भर्ती के लिये शारीरिक रूप से तैयार** करना।
  - उन्हें **खेल प्रशिक्षण** के माध्यम से अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल प्रदान करना।
  - **हुनर आधारित प्रशिक्षण** देकर **रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ाना**।
  - प्रदेश में **खेल संस्कृति को बढ़ावा देना** और **विद्यालय स्तर पर खेल गतिविधियों को संस्थागत रूप देना**।

प्रसाद योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **माँ पीतांबरा पीठ** को प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिये केंद्र सरकार की प्रसाद योजना (PRASAD Scheme) के अंतर्गत **₹44.24 करोड़** की राशि स्वीकृत की है।

मुख्य बिंदु:

- **पीतांबरा पीठ के बारे में:**
  - पीतांबरा पीठ मध्य प्रदेश के **दतिया शहर** में स्थित एक **हिंदू मंदिर परिसर** है, जिसमें एक **आश्रम** भी सम्मिलित है।
  - यहाँ स्थित **श्री वनखंडेश्वर शिवलिंग** को महाभारत काल का माना जाता है। यह मंदिर **शक्ति साधना** के प्रमुख केंद्रों में एक है।
  - पीठ की स्थापना वर्ष **1935 में स्वामीजी महाराज** द्वारा **दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला** के सहयोग से की गई थी।
  - यहाँ **माँ बगलामुखी** का प्रमुख मंदिर स्थित है।

प्रसाद योजना

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा **वर्ष 2014-15** में चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से '**तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन**' शुरू किया गया था।
- अक्तूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर '**तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्द्धन अभियान**' (**यानी 'प्रसाद'**) राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया।
  - आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की हृदय (HRIDAY) योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को **प्रसाद PRASHAD योजना में शामिल** किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- प्रसाद योजना के तहत विकास के लिये कई धार्मिक शहरों/स्थलों की पहचान की गई है जैसे **अमरावती और श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश), कामाख्या (असम), परशुराम कुंड (लोहित ज़िला, अरुणाचल प्रदेश), पटना और गया (बिहार)** आदि।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना के तहत चिह्नित परियोजनाओं को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा चिह्नित एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- **वित्तपोषण तंत्र:** केंद्र सरकार सार्वजनिक वित्तपोषण के लिये शुरू किये गए परियोजना घटकों हेतु 100% वित्तपोषण प्रदान करती है।
  - इस योजना के तहत परियोजनाओं की बेहतर स्थिरता के लिये **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** के लिये उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तपोषण का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है।

मध्य प्रदेश में पराली जलाने का संकट

चर्चा में क्यों?

अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश गेहूँ की पराली जलाने **की घटनाओं में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। जिसके चलते राज्य प्रशासन ने** पराली जलाने के लिये किसानों पर **जुर्माना लगाने** जैसे सख्त कदम लागू किये।

मुख्य बिंदु

- **राज्य में वर्तमान स्थिति:**
  - **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (CREAMS)** डैशबोर्ड के अनुसार 2025 में अब तक मध्य प्रदेश में गेहूँ के ठूँठ जलाने की 17,534 घटनाएँ दर्ज की गई हैं।
    - **अकेले इंदौर में ऐसी 1,240 घटनाएँ हुईं,** जिनमें 770 किसानों पर कुल मिलाकर 16.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
  - राज्य सरकार ने **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(5) को लागू करते हुए** पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ज़िला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के लिये अधिकृत किया है।
    - **धारा 19(5):** यदि राज्य सरकार, **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से** परामर्श के बाद यह मानती है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी सामग्री (ईंधन के अलावा) को जलाने से **वायु प्रदूषण हो सकता है या होने की संभावना है,** तो वह निर्दिष्ट क्षेत्र में **उस सामग्री को जलाने पर रोक लगाने के लिये आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है।**
- **जुर्माना (भूमि स्वामित्व के आधार पर):**
  - **2 एकड़ तक:** ₹2,500 प्रति घटना
  - **2-5 एकड़:** ₹5,000 प्रति घटना
  - **5 एकड़ से अधिक:** ₹15,000 प्रति घटना
- **पराली जलाने में वृद्धि के कारण:**
  - **ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती को बढ़ावा:**
    - नरसिंहपुर (पूर्व में होशंगाबाद), रायसेन, विदिशा, देवास, हरदा और सीहोर जैसे ज़िलों में किसानों ने गेहूँ और धान के बाद तीसरी फसल के रूप में **ग्रीष्मकालीन मूंग को तेज़ी से अपनाया है।**
    - चूँकि नहर का पानी मई तक उपलब्ध रहता है, इसलिये किसान मूंग की फसल की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। **लेकिन, बुवाई से पहले गेहूँ की पराली साफ करने के लिये उन्हें बहुत कम समय मिलता है।** ऐसे में पराली जलाना खेत तैयार करने का **सबसे तेज़ और सस्ता तरीका बन जाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अपर्याप्त सब्सिडी सहायता:**
  - मध्य प्रदेश में किसानों को **फसल अवशेष प्रबंधन (कर्मचारी) मशीनों पर केवल 40% सब्सिडी मिलती है।**
  - इसके विपरीत, पंजाब सहकारी समितियों के लिये 80% **तक तथा व्यक्तिगत किसानों के लिये 50% तक सब्सिडी प्रदान करता है।**
- **विलंब और नीतिगत अंतराल:**
  - उर्वरकों तक देरी से पहुँच और CRM मशीनों की उच्च लागत का मतलब है कि कई छोटे और सीमांत किसानों के पास अवशेषों को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
  - **किसान नेताओं का तर्क है कि पराली में आग लगाना हमेशा जानबूझकर नहीं होता है**, बल्कि यह अत्यधिक गर्मी, बिजली गिरने या विद्युत दोष जैसे प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है।
  - उनका तर्क है कि सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिये **व्यवहार्य विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना किसानों को अनुचित रूप से दंडित कर रही है।**
- **राज्य की प्रतिक्रिया और सुधार:**
  - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने **स्थानीय प्रशासन को मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने** तथा जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है।
  - हाल **ही में स्वीकृत अन्नदाता मिशन का** उद्देश्य फसल अवशेष प्रबंधन, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और वैकल्पिक **फसल मॉडल** जैसे संरचनात्मक मुद्दों से निपटना है।
- **पराली जलाने के विकल्प:**
  - **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** टर्बो हैप्पी सीडर (THS) मशीन, जो पराली को उखाड़ सकती है और साफ किये गए क्षेत्र में बीज भी बो सकती है। पराली को फिर खेत में मल्च के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

पराली जलाना

- पराली जलाना, **फसल कटाई के बाद खेत में बचे कृषि अवशेषों को जलाने की प्रथा है**, जो आमतौर पर सर्दियों के महीनों में अगली फसल की बुवाई के लिये भूमि को साफ करने के लिये किया जाता है।
  - इस प्रथा का एक सामान्य उदाहरण **धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाना है ताकि गेहूँ की बुवाई के लिये खेत तैयार किया जा सके, जो आमतौर पर उत्तर-पश्चिम भारत में अक्तूबर और नवंबर** में किया जाता है, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में।
  - इसकी आवश्यकता आमतौर पर उन क्षेत्रों में होती है जहाँ संयुक्त कटाई पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिससे फसल अवशेष बच जाते हैं।
- **पराली जलाने के प्रभाव:**
  - मीथेन (CH_4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) और कैंसरकारी पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे जहरीला धुंध बनता है।
  - प्रदूषक रूपांतरण से गुजरते हैं, **जिससे धुंध बनती है, जो मानव श्वसन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।**
  - आवश्यक मृदा पोषक तत्त्वों को नष्ट कर **समग्र उर्वरता को कम करता है।**
  - जलाने से उत्पन्न उच्च तापमान **के कारण नमी की हानि होती है** तथा मृदा के लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिये **संशोधनों को मंजूरी** दी।

मुख्य बिंदु

- **योजना के बारे में:**
  - **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** की शुरुआत **वर्ष 2006** में **मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग** द्वारा की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन दीनदयाल अंत्योदय मिशन के माध्यम से किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य **निराश्रित, निर्धन, परित्यक्ता और विधवा कन्याओं** के **सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रमों** का आयोजन करके उन्हें **आर्थिक सहायता** प्रदान करना है।
- **संशोधनों के बारे में:**
  - योजना अंतर्गत **BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य** किया गया है, जिससे पात्रता की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
  - **सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम** अब **संभागवार वार्षिक चक्रीय कैलेंडर** के अनुसार आयोजित किये जाएंगे।
  - प्रत्येक सम्मेलन में **न्यूनतम 11** और **अधिकतम 200 विवाह जोड़ों** को सम्मिलित किया जायेगा।
  - **निकाय स्तर पर आवेदन की स्क्रूटनी** की जाएगी, साथ ही वर-वधू की आधार **आधारित** e-KYC (Electronic Know Your Customer) को अनिवार्य बनाया गया है।
  - **आर्थिक लाभ** की राशि कुल **55,000 रुपए प्रति वधू** निर्धारित की गई है:
    - 49,000 रुपए वधू को **चेक**/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे दिये जाएंगे।
    - 6,000 रुपए आयोजन की व्यवस्था हेतु **संबंधित निकाय को प्रदान** किये जाएंगे।
- **प्रभाव:**
  - इस संशोधित योजना से **पात्र हितग्राहियों की पहचान** में सुधार होगा तथा **लाभों के वितरण में पारदर्शिता** आएगी।
  - इससे **कन्याओं की सामाजिक सुरक्षा** और उनके परिवारों का मनोबल मज़बूत होगा।
  - **स्थानीय निकायों** की भूमिका सशक्त होगी और **सामाजिक संगठनों की भागीदारी** से कार्यक्रम को जन-आंदोलन का स्वरूप मिलेगा।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना

- **उद्देश्य:** इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- **कार्यान्वयन:** इसे भारत सरकार द्वारा **1 जनवरी, 2013** को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।
  - महालेखाकार कार्यालय की **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के पुराने संस्करण यानी 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम' को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **DBT के घटक:** प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, **RBI** की निपटान प्रणाली और **NPCI** की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।
- DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूँकि आधार विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

'टाइगर रिज़र्व बफर ज़ोन विकास' योजना

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिये नवीन योजना "टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्रों का विकास" के लिये 145 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य बिंदु:

- **योजना के बारे में:**
  - यह योजना प्रदेश के 9 टाइगर रिज़र्व से लगे **बफर क्षेत्रों** में लागू की जाएगी।
  - इसका उद्देश्य बाघों और अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना तथा पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देना है।
  - **योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे:**
    - **संवेदनशील क्षेत्रों में चेनलिंक फेंसिंग** (बाड़बंदी) का निर्माण किया जाएगा ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके।
    - **वन्य प्राणियों की सुरक्षा** के लिये और **अग्नि सुरक्षा** की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
    - **चारागाहों एवं जल स्त्रोतों का विकास** किया जाएगा, जिससे जानवरों को प्राकृतिक संसाधन सुलभ हों।
    - **वन्य प्राणियों का उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण** की व्यवस्था की जाएगी ताकि रोगों के प्रसार को रोका जा सके।
    - इसके अतिरिक्त, **स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षण** देकर उनके **कौशल का उन्नयन** किया जाएगा, जिससे उनके लिये **वैकल्पिक आजीविका** के साधन तैयार किये जा सकें।
- पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में बाघों की संख्या **526 से बढ़कर 785** हो गई है, जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

मध्य प्रदेश के टाइगर रिज़र्व

क्र.सं.	टाइगर रिज़र्व	अधिसूचना वर्ष	क्षेत्र (ज़िला)
1.	कान्हा टाइगर रिज़र्व	2007	मंडला और बालाघाट
2.	पेंच टाइगर रिज़र्व	2007	सिवनी
3.	बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व	2007	उमरिया
4.	सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व	2007	नर्मदापुरम
5.	पन्ना टाइगर रिज़र्व	2007	पन्ना
6.	संजय-दुबरी टाइगर रिज़र्व	2011	सीधी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

7.	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व	2023	दमोह और सागर
8.	रातापानी टाइगर रिज़र्व	2024	रायसेन और सीहोर
9.	माधव टाइगर रिज़र्व	2025	शिवपुरी

बाघ

रॉयल बंगाल टाइगर (Panthera Tigris) भारत का राष्ट्रीय पशु है।

बाघ की उप प्रजातियाँ

* महाद्वीपीय (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस)
* सुंडा (पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाइका)

प्राकृतिक अधिवास

उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान और सवाना

देश जहाँ बाघ पाए जाते हैं

- 13 बाघ रेंज देश जहाँ यह प्राक्रतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्याँमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं।
- IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- CITES : परिशिष्ट-I
- WPA 1972 : अनुसूची-I

खतरे

- आवास विखंडन
- अवैध शिकार
- मानव-वन्यजीव संघर्ष

संरक्षण संबंधी प्रयास

- इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA): बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा नामक सात बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिये (भारत द्वारा शुरू)
- Tx2 अभियान: WWF द्वारा आरंभ किया गया; 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए 'टाइगर टाइम्स 2' को संदर्भित करता था
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): WPA, 1972 के तहत गठित
- प्रोजेक्ट टाइगर : 1973 में लॉन्च किया गया
- बाघों की गणना : प्रत्येक 5 वर्ष में

भारत में बाघ

- भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है
  - वर्ष 2022 तक, भारत में बाघों की संख्या 3167 थी
  - मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई गई है
- टाइगर रिजर्व: भारत में अब 53 टाइगर रिज़र्व हैं
  - नवीनतम टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है
  - नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश) सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है जबकि ओरंग (असम) सबसे छोटा (कोर क्षेत्र) है।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

मुख्य बिंदु

- **OBC आरक्षण की स्थिति :**
  - OBC को केंद्र सरकार की **नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण** मिलता है।
    - वर्ष 1953 में कालेलकर आयोग की स्थापना की गई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) **और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) से परे पिछड़े वर्गों को मान्यता देने का पहला उदाहरण** पेश किया।
    - वर्ष 1980 में **मंडल आयोग की रिपोर्ट** में **OBC आबादी 52% होने का** अनुमान लगाया गया था **और 1,257 समुदायों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया था।**
  - असमानता को दूर करने के लिये इसने **मौजूदा कोटा** (जो पहले केवल SC/ST के लिये लागू था) **को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दिया, जिसमें OBC को शामिल करने के लिये आरक्षण का विस्तार किया गया।**
  - इन सिफारिशों के बाद **केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत OBC के लिये केंद्रीय सिविल सेवा में 27% सीटें आरक्षित करते हुए आरक्षण नीति लागू की।**
- यह नीति अनुच्छेद 15(4) के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू की गई थी।
  - वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करते हुए कि ये लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुँचे, हस्तक्षेप किया और **केंद्र सरकार को OBC के बीच "क्रीमी लेयर (Creamy Layer)" (उन्नत वर्गों) को** आरक्षण नीति के लाभ से बाहर करने का निर्देश दिया।
  - वर्ष 2018 में **102वें संविधान संशोधन अधिनियम** ने **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes- NCBC) को संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया।
  - **इसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में NCBC को उसकी पिछली स्थिति** से ऊपर स्थान दिया, जिससे इसे OBC सहित पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने में अधिक अधिकार और मान्यता प्राप्त हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

इतिहास

- **1773**: रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई
- **1800**: मद्रास उच्चतम न्यायालय
- **1823**: बम्बई उच्चतम न्यायालय
- **1861**: उच्च न्यायालय अधिनियम ने उच्च न्यायालयों का सृजन किया, उच्चतम न्यायालयों को समाप्त कर दिया
- **1935**: भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय संघीय न्यायालय
- **1950**: भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना (अनुच्छेद 124)

संरचना

- **संख्या:** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश
- **योग्यता:** भारतीय नागरिक; 5 वर्ष के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/10 वर्ष के लिये अधिवक्ता/प्रतिष्ठित न्यायविद्
- **कार्यकाल:** 65 वर्ष की आयु तक (जब तक वह इस्तीफा नहीं देता है/राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता)
- **वेतन:** संसद द्वारा निर्धारित
- **महाभियोग:** राष्ट्रपति द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन पर

क्षेत्राधिकार

मूल, रिट, अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार

- **मूल:** सरकार और राज्यों के बीच विवाद (अनुच्छेद 131); संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32)
- **रिट:** मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने के अधिकार (अनुच्छेद 139)
- **उच्च न्यायालयों से अपील:**
  - संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132)
  - सिविल मामले (अनुच्छेद 133)
  - आपराधिक मामले (अनुच्छेद 134)
  - विशेष अवकाश (अनुच्छेद 136; **विवेकाधीन शक्ति**)
- **सलाहकार:** राष्ट्रपति की सलाह (अनुच्छेद 143)

अन्य शक्तियाँ

अभिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक व्याख्या आदि।

- **अनुच्छेद 129:** अवमानना हेतु दंडित करने की शक्तियाँ
- **अनुच्छेद 137:** उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा
- **अनुच्छेद 141:** उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं
- **अनुच्छेद 142:** उच्चतम न्यायालय के आदेश और अध्यादेश लागू करने का अधिकार
- **अनुच्छेद 147:** उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है

उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश

- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश:** आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- **तदर्थ न्यायाधीश:** कोरम संबंधी मुद्दों के लिये मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त
- **सेवानिवृत्त न्यायाधीश:** मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त कर सकते हैं

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

MP में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क

चर्चा में क्यों ?

पीएम मित्र योजना (PM MITRA) के तहत भारत का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क मध्यप्रदेश के **धार ज़िले** में स्थापित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- **टेक्सटाइल पार्क के बारे में:**
  - पार्क की कुल लागत **2100 करोड़ रुपए** है और इसे **धार ज़िले** के **भैंसोला गाँव** में विकसित किया जाएगा।
  - यह पार्क Zero Liquid Discharge (ZLD) तकनीक पर आधारित **20 MLD जल संयंत्र**, सौर ऊर्जा आधारित पॉवर प्लांट, **"प्लग एंड प्ले" फैक्ट्री यूनिट्स**, और **श्रमिकों के लिये आवासीय परिसर** जैसी **अत्याधुनिक सुविधाओं** से युक्त होगा।
  - इसका उद्देश्य एक ऐसा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सिस्टम बनाना है जिसमें **स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाईंग, गारमेंटिंग** जैसी सभी गतिविधियाँ एक ही परिसर में हों।
  - सभी निर्माण कार्यों को **14 माह** में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यह भारत का **सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला टेक्सटाइल पार्क** बन सके।
  - इस परियोजना के तहत अब तक **10,000 करोड़ रुपए** के **निवेश प्रस्ताव** मिल चुके हैं।
  - इससे **लाखों युवाओं के लिये रोज़गार** के अवसर सृजित होंगे और राज्य की **अर्थव्यवस्था को मज़बूती** मिलेगी।
  - इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को गति मिलेगी।

पीएम मित्र योजना

- **परिचय**
  - भारतीय कपड़ा उद्योग को मज़बूत करने के लिय कपड़ा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (MITRA) योजना शुरू की गई थी।
  - पीएम मित्र' पार्क को **सार्वजनिक निजी भागीदारी** (PPP) मोड में एक **विशेष प्रयोजन वाहन** (Special Purpose Vehicle- SPV) के ज़रिये विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा।
  - प्रत्येक 'मित्र' पार्क में एक **इन्क्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट** तथा अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएँ जैसे- **डिज़ाइन सेंटर एवं टेस्टिंग सेंटर होंगे।**
    - **इनक्यूबेशन सेंटर** वह संस्था होती है जो उद्यमियों को उनके व्यवसाय को विकसित करने और इससे जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहायता करती है, विशेष रूप से प्रारंभिक चरणों में व्यवसाय और तकनीकी सेवाओं की सारणी, प्रारंभिक सीड फंडिंग (Seed Funding), प्रयोगशाला सुविधाएँ, सलाहकार, नेटवर्क और लिंकेज प्रदान करके।
    - यह 'विशेष प्रयोजन वाहन'/मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा, बल्कि रियायत अवधि के दौरान इसका रखरखाव भी करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वित्तपोषण:**
  - इस योजना के तहत केंद्र सरकार सामान्य बुनियादी अवसंरचना के विकास हेतु प्रत्येक **ग्रीनफील्ड 'मित्र' पार्क** के लिये 500 करोड़ रुपए और **प्रत्येक ब्राउनफील्ड पार्क** के लिये 200 करोड़ रुपए की **विकास पूंजी सहायता** प्रदान करेगी।
    - **ग्रीनफील्ड** का आशय एक पूर्णत: नई परियोजना से है, जिसे शून्य स्तर से शुरू किया जाना है, जबकि **ब्राउनफील्ड** परियोजना वह है जिस पर काम शुरू किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल 2025) के अवसर पर मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग **को "साइबर तहसील पहल"** के लिये प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2023 से सम्मानित किया।

मुख्य बिंदु

- **साइबर तहसील पहल के बारे में:**
  - यह पहल प्रदेश में भूमि नामांतरण सेवाओं को पूरी तरह से **डिजिटल, प्रभावी** और **नागरिकों के अनुकूल** बनाने में सफल रही है।
  - **एकीकृत प्रणाली** से **न्यायालयों** का प्रबंधन और प्रकरणों का निपटारा **त्वरित** और **निष्पक्ष** होता है।
  - इस पहल से **पारदर्शिता** बढ़ी है और नागरिक अब अपने नामांतरण मामले की स्थिति को **रिजल्ट्स और कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल** के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं।
  - राज्य में **1 लाख 50 हज़ार** से अधिक प्रकरणों का **निपटारा** किया जा चुका है।
  - तहसील कार्यालयों पर नामांतरण प्रकरणों के कार्यभार में 25 प्रतिशत तक की कमी आई है।
  - **रियल-टाइम अपडेट, वेब GIS, संपदा** और **सारा** जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के एकीकरण से प्रक्रिया और **सुगम** हो गई है।
  - इस पहल को **राष्ट्रीय स्तर पर सराहना** मिली है और अन्य राज्यों जैसे **आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड** ने इसे अपनाने में रुचि दिखाई है।

वेब GIS

- यह इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के उपयोग को संदर्भित करता है, जो ऑनलाइन भौगोलिक डाटा को साझा करने, दृश्य प्रस्तुत करने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है।
- यह उपयोगकर्त्ताओं को मानचित्रों और स्थानिक डाटा के साथ दूरस्थ रूप से इंटरएक्ट करने और उसे एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, जिससे सहयोग और जानकारी के व्यापक प्रसार को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस

- **परिचय**
  - यह हर साल **21 अप्रैल** को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिये समर्पित है, जो देश के विभिन्न सार्वजनिक विभागों में काम करते हुए भारत की प्रशासनिक प्रणाली को मज़बूती से चलाते हैं। साथ ही, यह दिन सिविल सेवकों को यह याद दिलाने का भी कार्य करता है कि उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी देश के नागरिकों की सेवा करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- सिविल सेवक, विशेष रूप से **उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्यरत**, नीतिगत निर्णयों को निर्धारित करने और उन्हें लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IAS, IPS और अन्य उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारी नागरिकों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिये अक्सर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं।

- **उद्देश्य**
  - भारत सरकार **सिविल सेवा दिवस** का आयोजन हर वर्ष इस उद्देश्य से करती है, ताकि सिविल सेवक अपनी सेवा के प्रति फिर से समर्पित हो सकें और सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पुन: नवीनीकरण कर सकें।
  - इस दिन का चयन इसलिये किया गया था क्योंकि 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्हें '**भारत का स्टील फ्रेम**' कहा था।
    - यह शब्द इस बात को रेखांकित करता है कि सिविल सेवक प्रशासनिक व्यवस्था के मज़बूत स्तंभ होते हैं।

भारत बोत्सवाना से चीते लाएगा

चर्चा में क्यों?

भारत में चीतों के पुनर्वास प्रयासों को एक नई दिशा देने के लिये अफ्रीकी देश बोत्सवाना से आठ चीते दो चरणों में भारत लाए जाएंगे।

- नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के अधिकारियों ने बताया कि भारत में दक्षिण अफ्रीका, और केन्या से भी और चीते लाने की प्रक्रिया जारी है।

मुख्य बिंदु

- **चीतों का पुनर्वास:**
  - वर्ष 2022 में शुरू की गई चीता परियोजना, विलुप्त हो चुकी चीतों की प्रजातियों को जंगल में फिर से लाने की भारत की महत्वाकांक्षी पहल है। अब तक इस परियोजना पर 112 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 67% राशि अकेले मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास गतिविधियों के लिये आवंटित की गई है।।
  - मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का पुनर्वास किया जाएगा।
    - यह अभयारण्य राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक अंतरराज्यीय चीता संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।
  - कूनो और गांधी सागर अभयारण्य में चीता मित्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि चीतों के संरक्षण और पुनर्वास में उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य:

- यह राजस्थान से सटे मंदसौर और नीमच ज़िलों की उत्तरी सीमा पर **मध्य प्रदेश** में स्थित है।
- इसकी विशेषता **विशाल खुले परिदृश्य और चट्टानी इलाके** हैं।
- वनस्पतियों में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन और झाड़ी शामिल हैं।
- अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ **खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू और पलाश** हैं।
- जीवों में **चिंकारा, नीलगाय, चित्तीदार हिरण, धारीदार लकड़बग्घा, सियार और मगरमच्छ** शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):

- यह **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के** तहत एक **वैधानिक निकाय है।**
- **इसकी स्थापना** 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- **इसका गठन** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया) के प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण को मज़बूत करने के लिये, इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार किया गया था।

चीता (Cheetah)

सामान्य नाम: एशियाई चीता

वैज्ञानिक नाम: *एसिनोनिक्स जुबेटस (Acinonyx jubatus)*

- *एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस* (एशियाई चीता)
- *एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस* (अफ्रीकी चीता)

विशेषताएँ:

- विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी
- चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिये जाने जाते हैं; जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो यह केवल **200-300** मीटर के लिये तथा **1** मिनट से कम अवधि का होता है।
- शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिये चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं।

अफ्रीकी चीता बनाम एशियाई चीता:

एशियाई चीता

- अफ्रीकी: हल्के भूरे और सुनहरे रंग की **त्वचा; एशियाई चीते से मोटी**
  - ***चेहरों पर धब्बों तथा रेखाओं की प्रधानता***
  - *पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं*
  - *IUCN रेडलिस्ट में स्थिति:* ***सुभेद्य (Vulnerable)***
- एशियाई: अफ्रीकी चीतों से थोड़े छोटे
  - ***हल्के पीले रंग की त्वचा: शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर अधिक बाल***
  - ***केवल ईरान में पाए जाते हैं;*** *देश द्वारा यह दावा किया जाता है कि अब यहाँ केवल **12** चीते शेष हैं।*
- वर्ष 1952: एशियाई चीता को **आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त** घोषित किया गया
  - *IUCN रेडलिस्ट में स्थिति:* ***घोर संकटग्रस्त (Critically Endangered)***

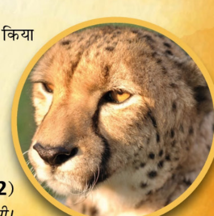

अफ्रीकी चीता

भारत में चीतों का पुनर्वास:

- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में MoEF-CC** द्वारा **"भारत में चीता पुनर्वास के लिये कार्ययोजना"** जारी की गई थी। (जनवरी **2022**)
  - *इसी तरह की एक कार्ययोजना सर्वप्रथम वर्ष **2009** में प्रस्तावित की गई थी।*
- सितंबर **2022** में **नामीबिया से आठ चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु लाया गया।**
  - *इन आठ चीतों को **मध्यप्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान** में स्थानांतरित किया जाएगा।*
- नामीबिया से भारत में चीतों का स्थानांतरण **विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली स्थानांतरण परियोजना है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्द्धन अभियान

चर्चा में क्यों ?

प्रदेश में प्रारंभ किये गए जल गंगा संवर्द्धन अभियान के अंतर्गत **उद्यानिकी विभाग** द्वारा गाँव-गाँव में आयोजित की जा रही **"पानी चौपाल"** आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है।

मुख्य बिंदु

- **पानी चौपाल के बारे में:**
  - इस चौपाल में **मैदानी अमला** किसानों को जल संरक्षण, कम पानी से होने वाली फसलों, कृषि और उद्यानिकी फसलों के साथ अधिक लाभ कमाने की तकनीक और **नवीन उद्यानिकी तकनीकों** के बारे में समझाया जाता है।
  - इसके साथ ही, अभियान के दौरान **फलोद्यान, ड्रिप लाइन, प्लास्टिक मलचिंग, सब्जी क्षेत्र, मसाला क्षेत्र और पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनाओं** का लाभ लेने के लिये **उद्यानिकी विभाग** का **ऑनलाइन पोर्टल** से पंजीकरण भी कराया जा रहा है।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्रॉप-मोर क्रॉप" के अंतर्गत **उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग** ने 13,500 कृषकों को **76.68 करोड़ रुपए** की लागत से **स्प्रिंकलर** और ड्रिप सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
  - इसके अलावा, **5,000 हैक्टेयर** में फलदार पौधों का रोपण और सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से **जल प्रबंधन** पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
  - अभियान के लिये **25 लाख से अधिक फलदार पौधे** उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये "पानी चौपाल" में ही किसानों को **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया** की जानकारी भी दी जा रही है।
- **जल गंगा संवर्द्धन अभियान**
  - यह अभियान 30 मार्च 2025 को **क्षिप्रा नदी** के तट से आरंभ हुआ और 30 जून 2025 तक चलेगा।
  - **उद्देश्य:**
    - **जल स्त्रोतों का संरक्षण:** जल गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल-संरचनाओं (नदी, तालाब, कुए, बावड़ी आदि) का संरक्षण और पुनर्जीवन करना है।
    - इसमें गंदे पानी के नालों को **स्वच्छ भारत मिशन-2.0** के अंतर्गत शोधित करने की योजना भी शामिल है।
    - **जन-भागीदारी को बढ़ावा देना:** इस अभियान में नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- इस योजना को वर्ष 2015 में खेती के लिये पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा **सतत् जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने** के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसमें केंद्र-राज्यों के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 है।
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों के मामले में यह हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

तेजस्वी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों में उद्यमी विश्वास और कौशल विकसित करने के लिये **तेजस्वी कार्यक्रम** शुरू किया है।

मुख्य बिंदु

- **कार्यक्रम के बारे में:**
  - **स्कूल शिक्षा विभाग** द्वारा तेजस्वी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य ओपन स्कूल और सहयोगी संस्थाएँ **उद्यम लर्निंग फाउंडेशन** तथा **द एजुकेशन एलायंस** के बीच बहुपक्षीय MoU हस्ताक्षरित किया गया।
  - यह कार्यक्रम छात्रों को **स्व-रोज़गार** और **नवीन उद्योगों** के बारे में जानकारियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
  - सरकार की योजना है कि विद्यार्थियों को **व्यावसायिक कौशल** से युक्त किया जाए ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिये सक्षम हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
  - यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो स्कूली विद्यार्थियों में व्यवसायिक दक्षताओं एवं जीवन कौशल विकसित करने पर केंद्रित है।
- **प्रशिक्षण**
  - इस कार्यक्रम के तहत **विद्यालयीन समय** में **नवीन उद्योगों** और **स्व व्यवसाय** पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।
  - **प्रशिक्षण कार्यक्रम** में विद्यार्थियों को **अनुभव आधारित** कार्य, **प्रोजेक्ट कार्य** और **नवाचारी व्यवसाय** से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
  - **भोपाल** और **इंदौर** में **कक्षा 9 और 11** के छात्रों के लिये विशेष कक्षाएँ संचालित की जाएंगी।
- **प्रभाव**
  - **प्रदेश** में**स्व-रोज़गार** और **उद्यमिता** को बढ़ावा मिलेगा।
  - **मध्य प्रदेश** में **युवाओं** के **स्वावलंबन** और **कर्मठता** में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख **डॉ. के.** कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने **मई 2019** में **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा'** प्रस्तुत किया था।
  - **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020' वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति** होगी।
- NEP-2020 के तहत **केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की** जीडीपी **के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य** रखा गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को **5+3+3+4** प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
- इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दिया गया है।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME